जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध डिस्कॉम की सख्त कार्यवाही

कनिष्ठ अभियन्ता को किया सेवा से बर्खास्त

जयपुर, 04 अप्रेल। जयपुर डिस्कॉम प्रशासन द्वारा कार्यशैली में सुधार न करने व वित्तीय अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत हाल ही में विभागीय जांच में दोषी पाए गए चार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है तथा आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि फील्ड में समय पर कार्य न करने, वित्तीय अनियमितता बरतने, कार्य की गुणवत्ता एवं भौतिक सत्यापन के बिना ठेकेदारों के बिल पास करने, बिजली चोरी में सहयोग करने एवं टी एण्ड डी लॉसेस को कम नही करने वाले दोषी अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में कराई गई विभागीय जांच में विद्युत लाईन के निर्माण के बाद लगभग एक वर्ष तक उपभोक्ता के मीटर न लगाकर विद्युत चोरी में सहयोग करने के दोषी पाए गए थानागाजी उपखण्ड के कनिष्ठ अभियन्ता चन्द्र प्रकाश शर्मा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसी प्रकार भरतपुर जोन के मुख्य अभियन्ता पी.के.मित्तल को अधिशाषी अभियन्ता (एमएण्डपी) के पद पर कार्यरत रहने के दौरान एच.टी. उपभोक्ता की मीटर रीडिंग साल भर से अधिक अवधि तक सही प्रकार से नही लेकर निगम को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इसके साथ ही दौसा वृत में कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता नवरत्न बैरवा व अन्ता में कार्यरत सहायक राजस्व अधिकारी नाथूलाल जाटव को एमनेस्टी स्कीम के अन्तर्गत गलत प्रकार से उपभोक्ताओं को ब्याज में छूट का लाभ देकर निगम को आर्थिक हानि पहुंचाने हेतु तीन–तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया है।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 368/2016